तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कारण की पेश नहीं किया है। अतः आवेदिका का प्रार्थना पत्र आदेश 09 R7 R(W)S) CPC के तहत लागिल नहीं होते हैं। खारिज किया जाता है। तथा प्रार्थना सरकारी पेशे की तुलनी गई। अतः आगे सुनवाई आदेश दिनांक 30/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)
30/10/24	पत्रावली पेश हुई। अतः पेशी उपरान्त। अन्य मार्फत है। वादी दर्ज है। पक्षकार उपस्थित। आदेश दिनांक 20/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)
20/11/24	पत्रावली पेश हुई। अतः पेशी उपरान्त। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्यों प्रार्थी का मूल गाड कैपल है चुका है। मूल गाड कैपल है जाने से अन्य इस्तगास प्रार्थना में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही। अपील प्रस्तावित होते हैं। प्रार्थना खारिज किया जाता है। पक्षकार कैपल हमाट होकर नसरट है गया है। वाद नामंजूर मात्रा खारिज। दस्तावेज लेखा/भंडार जप्त है। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)